



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

30 चैत्र, 1944 (श०)

संख्या - 184 राँची, बुधवार,

20 अप्रैल, 2022 (ई०)

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(कृषि प्रभाग)

संकल्प

31 मार्च, 2022

विषय- राज्य योजना अन्तर्गत “झारखण्ड राज्य हॉर्टिकल्चर प्रमोशन सोसाईटी” के गठन की स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल राशि रु० 500.00 लाख (रूपये पांच करोड़) मात्र तदनुसार गठित “झारखण्ड राज्य हॉर्टिकल्चर प्रमोशन सोसाईटी” को अनुदान के रूप में विमुक्त किए जाने की स्वीकृति के संबंध में।

संख्या-03/क०रा०यो०-02/2022..झारखण्ड में उद्यानिकी फसलों की खेती 2.56 लाख हे० में की जाती है। झारखण्ड में मुख्य उद्यानिकी फसलें लीची, आम, अमरूद, कटहल, फूलगोभी, टमाटर, मटर, शिमला मिर्च, भिण्डी, फ्रेंचबीन आदि के अतिरिक्त फूलों में गुलाब, गेंदा, जरबेरा, आदि विभिन्न फसलों की खेती की जाती है।

झारखण्ड राज्य में उद्यानिकी फसलों के संदर्भ में आच्छादन क्षेत्र, कुल उत्पादन, उत्पादकता एवं राष्ट्रीय औसत की स्थिति निम्नवत् है :-

2019-20 में झारखण्ड राज्य में उद्यानिकी फसलों की स्थिति

फसल	कुल क्षेत्र (हे० में)	कुल उत्पादन (मे०टन में)	कुल उत्पादकता (मे०टन/हे०)	राष्ट्रीय उत्पादकता (मे०टन/हे०)
फल	105317	1153477	10.95	14.96
सब्जी	302365	3592033	11.87	17.97
फूल	1050	4630	4.40	6.05
काजू	11890	16250	1.36	4.82

उद्यानिकी फसलों के उत्पादन में विस्तार एवं उचित विपणन की व्यवस्था के द्वारा राज्य के कृषकों की आय में गुणात्मक वृद्धि की जा सकती है। उल्लेखनीय है कि राज्य में उद्यानिकी को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित हैं।

- उद्यान/बागवानी से संबंधित योजनाएं के लिए पूरे राज्य में विस्तार करने, उद्यानिकी क्षेत्र में समग्र विकास को बढ़ावा देने, उद्यानिकी फसलों को उचित बाजार उपलब्ध कराए जाने, उद्यानिकी फसलों के संदर्भ में कृषकों की क्षमता विस्तार, आदि को दृष्टिपथ रखते हुए झारखण्ड राज्य हॉर्टिकल्चर प्रमोशन सोसाइटी के गठन की स्वीकृति दी जाती है।
- झारखण्ड राज्य हॉर्टिकल्चर प्रमोशन सोसाइटी उद्यानिकी फसलों के विस्तार एवं उपर्युक्त वर्णित कार्य के अतिरिक्त राज्य में केन्द्र एवं राज्य सरकार की उद्यान से संबंधित विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन, अनुश्रवण करने तथा विभिन्न श्रोतों से उद्यान के क्षेत्र में आवंटन/अनुदान प्राप्त करने हेतु परियोजना प्रतिवेदन तैयार किए जाने का दायित्व होगा।
- उक्त के आलोक में कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग अन्तर्गत उद्यान निदेशालय के तत्वाधान में झारखण्ड राज्य हॉर्टिकल्चर प्रमोशन सोसाइटी के गठन किया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2021-22 में इस मद में ₹ 500.00 लाख (रुपये पांच करोड़) मात्र का बजटीय उपबंध का प्रावधान किया गया है, जो मुख्य शीर्ष-2401-फसल कृषि कर्म, लघुशीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोगना, लघुशीर्ष-115-छोटे/उपान्तक किसानों तथा कृषि श्रम की योजना, लघुशीर्ष-789-अनु0जा0के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष-BM-झारखण्ड राज्य उद्यान प्रमोशन सोसाइटी की स्थापना, उपयोगना शीर्ष-01-झारखण्ड राज्य उद्यान प्रमोशन सोसाइटी की स्थापना, विस्तृत शीर्ष-06-अनुदान 52 से विकलनीय होगा।
- उक्त क्रम में झारखण्ड राज्य हॉर्टिकल्चर प्रमोशन सोसाइटी के गठन हेतु अनुलग्नक - 1 के रूप में संलग्न मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन पर स्वीकृति दी जाती है।

6. झारखण्ड राज्य हॉर्टीकल्चर प्रमोशन सोसाईटी में एक मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी होंगे, जो उद्यानिकी/horticulturist होंगे। इनकी नियुक्ति राज्य/केन्द्र सरकार से प्रतिनियुक्ति/खुले बाजार से पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए चयन किया जायेगा। मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी एवं आवश्यकता आधारित मानव बल के संदर्भ में शासी निकाय उनके चयन, योग्यता, अनुभव, आदि निर्धारित करेगी तथा उसपर कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग से विधिवत् अनुमोदन प्राप्त करते हुए नियुक्ति की कार्रवाई किया जायेगा।
7. झारखण्ड राज्य हॉर्टीकल्चर प्रमोशन सोसाईटी को सोसाईटी निबंधन अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत किया जायेगा।
8. निदेशक उद्यान/उप निदेशक उद्यान, झारखण्ड, राँची इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे।
9. दिनांक 30.03.2022 को मंत्रिपरिषद् की आहुत बैठक की कार्यवाही की मद सं० - 34 पर झारखण्ड राज्य हॉर्टीकल्चर प्रमोशन सोसाईटी के गठन की स्वीकृति प्रदान की गई है।

अनु०-यथोक्त।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह०/—(अस्पष्ट)

सरकार के सचिव।
